(FORM – I) (For Linear Projects) Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Barmer

No :- F-12()(01)Rev/2018/ 1890

Dated: - 30-05-2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No .11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to the diverted for non – forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 6.5976 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of *National Highway Authority of india PIU Barmer* in Barmer district falls within jurisdiction of Agoriya and Nimbala villages in Shiv Tehsil

It is further certified that:-

- (a) The complete process of identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.5976 hectares of forest area (roadside plantation area) proposed for dirversion. A Copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C
- (b) The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls: As above

(Himanshu Gupta) District Collector, Barmer

बाड मेर

राजस्थान-सरकार कार्यालय जिला कलेक्टर बाडुमेर

क्रमांक प.12()(1)राज/2018//876

दिनांक:- 30/05/19

बैठक कार्यवाही विवरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 8बी/राज/6/22/2015/एफ.सी./200 दिनांक 02.06.2015 एवं राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग—3) के पत्र क्रमांक प.6(14) प्रसु/अनु—3/2008(2) दिनांक 14.03.2008 की अनुपालना में आज दिनांक 30.05.2019 को श्रीमान् जिला कलेक्टर बाड़मेर की अध्यक्षता में अनसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की क्रियान्वित के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति बाड़मेर की बैठक रखी गई, जिसमें निम्नािकत अधिकारीगण/सदस्य उपस्थित हुए:—

- 1. जिला कलेक्टर बाड़मेर ।
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाडमेर।
- 3. उप वन संरक्षक,बाडमेर ।
- 4.श्री किशनलाल जिला परिषद सदस्य
- 5. श्रीमती मांगी देवी जिला परिषद सदस्य

इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बाड़मेर द्वारा जैसलमेर—बाड़मेर सेक्शन पर एनएच 68 (पुरानी एनएच15) पर आपातकाल लैडिंग सुविधा का विकास हेतु 109.740 किलोमीटर से 113.445 किलोमीटर में वन भूमि प्रत्यावर्तन के अन्तर्गत ग्राम आगोरिया में रकबा 3.4789 हैक्टयर व ग्राम नीम्बला में रकबा 3.1187 हैक्टयर कुल 6.5976 हैक्टयर भूमि उपयोग में ली जानी है। प्रस्तावित वन विभाग की भूमि उपयोग में लिये जाने हेतु इस जिले के संबंधित ग्राम पंचायत की ग्रामसभा, उपखण्ड स्तरीय गठित कमेटी से प्राप्त बैठक कार्यवाही के विवरण के आधार पर लिये गये निर्णय अनुसार बाड़मेर जिले के अधिनस्थ वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम,2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति/समुदाय के उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकर हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता हैं।

अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि में से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बाड़मेर द्वारा जैसलमेर—बाड़मेर सेक्शन पर एनएच 68 (पुरानी एनएच15) पर आपातकाल लैडिंग सुविधा का विकास हेतु 109.740 किलोमीटर से 113.445 किलोमीटर में वन भूमि प्रत्यावर्तन के अन्तर्गत ग्राम आगोरिया में रकबा 3.4789 हैक्टयर व ग्राम नीम्बला में रकबा 3.1187 हैक्टयर कुल 6.5976 हैक्टयर भूमि उपयोग में ली जानी है, के लिये वनभूमि के अनारक्षण हेतु वन क्षेत्रों में अनसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वांछित प्रमाण—पत्र जारी किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

उप वन संरक्षक,बाड़मेर (सदस्य)

श्री किशनलाल जिला परिषद सदस्य (सदस्य) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सदस्य)

> श्रीमती मांगी देवी जिला परिषद सदस्य (सदस्य)

जिला कलक्टर,बाड़मेर (अध्यक्ष)

उपखण्ड स्तर संमिति की बैठक दिनांक 15.02.2019 की कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 15.02.2019 को उपखण्ड कार्यालय शिव में आपातकालीन लैण्डिंग एयर फील्ड सुविधा हेतु अवाप्त भूमि पर वन भूमि प्रत्यावर्तन कर गैर वानिकी उपयोग के प्रयोजनार्थ वनो के विपथन हेतु उपखण्ड स्तर की स्मिति की बैठक उपखण्ड अधिकारी षिव की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया :-

समिति की बैठक में उपखण्ड अधिकारी षिव ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम पंचायत निम्बला के राजस्व ग्राम निम्बला एवं आगोरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (नया 68) के समानान्तर किमी 109. 740 से 113.445 के मध्य कुल 6.5976 हैक्टेयर भूमि में आपातकालीन लैण्डिंग एयर फिल्ड सुविधा का विस्तार किया जाना है। अवाप्ति भूमि के कुछ हिस्सों पर वन विभाग के संरक्षित वन है जिसका प्रत्यावर्तन कर गैर वानिकी उपयोग के प्रयोजन के लिये, वनों का विपथन किया जाने के लिये इस समिति की बैठक आयोजित की गयी है। इस प्रस्ताव पर समिति ने गहनता से विचार कर इस तथ्य की सहमित दी कि आपात स्थिति में उक्त हवाई पट्टी को उपयोग में लिये जाने की आवष्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। अतः इस प्रस्ताव को सहमित के साथ श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर को भेजा जावें। बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



ग्राम सभा

ग्राम सभा

गाम पंचायत निम्बला

गाँव

: निम्वला

दिनाँक

: 17-07-2018

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या — 68 (पुराना न0. 15) के कि.मी. 109.740 से कि.मी. 113.745 पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के विकास हेतु परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (PIU-NHAI) बाड़मेर द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा बैठक गाँव जिन्हाला में सरपंच श्री कार्य की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों की उपस्थित में संपन्न की गई। ग्राम सभा तथा वन समिति सदस्यों की उपस्थित में निम्नलिखित मुद्दो पर चर्चा की गई।

- (1) गैर वन उद्देश्य के लिये बाड़मेर वन प्रभाग के आगोरिया गाँव में 3.4789 हैक्टेयर वन भूमि व निम्बला गाँव में 3.1187 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव PIU-NHAI बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (पुराना न0. 15) के कि.मी. 109.740 से कि.मी. 113.745 पर आपातकालिन लैंडिंग सुविधा के विकास करने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
- (2) उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य तथा निहितार्थी पर गाँव समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार —विमर्श किया गया।
- (3) उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में "अनुसूचित जनजाति और अन्य परापरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" के सभी खंडो पर बैठक में विचार—विगशं किया गया। विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि के चौड़ीकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मानक के मौजूदा सड़क के विकास (NH-15) के लिये है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा किसी अनुसूचित जन जाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकारी प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये, गैर–वन उद्देश्य अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण के लिये बाड़मेर वन प्रभाग के आगोरिया गाँव में 3.4789 हैक्टेयर वन भूमि व निम्बला गाँव में 3.1187 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

सरपंच है कि स्वाहेश (हरिया देवी)

सरपंच

ग्राम पचायत निम्बला ग्राम सभा पंस शिव(बाइवेर)

ग्राम पंचायत

: निम्पला

जिला

: बाडमेर

री प्रधान) दिनाँक

: 17-07-2018

(विक्रम कंशरी प्रधान) उप वन संरक्षक

Gram Sabha

ANCHAT	NIMBLA
	ANCHAT

Village: - NIMBLA

Date: 17.07.2018

- The application made by PIU-NHAI Barmer regarding diversion of 3.4789 ha of forest land in Aaghoriya village and 3.1187 ha in Nembla village, of Barmer Forest Division for non-forest purpose i.e. for Development of Emergency Landing Facility on NH-68 (Old NH-15) from km 109.740 to km 113.7445, was elaborately discussed.
- 2. The motive and implementation of the above diversion proposal was discussion overly and covertly in village committee.
- 3. In view of above diversion proposal, all section of the "Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of the Forest Rights) Act 2006" has been discussed in the meeting. The Proposed land for diversion is for Development of Emergency Landing Facility on NH-68 (Old NE+5) from km 109.740 to km 113.7445, and no Scheduled Tribes and no Primitive Dwellers are using land for cultivation, housing or for any other live hood and no Schedule Tribe and no Primitive Forest Dwellers have been granted individual forest right with in that land.

Therefore, it was unanimously passed in the meeting for diversion of 3.4789 ha of forest land in Aaghoriya village and 3.1187 ha in Nembla village, of Barmer Forest Division for non-forest purpose i.e. for Development of Emergency Landing Facility on NH-68 (Old NH-15) from km 109.740 to km 113.7445.

हूरि प्यहिबी (हरिया देवी) Sarpanch सरपंच प्राम पचायत निम्बला पंस शिव(बाडमेर)

District BARMER

Date 17 - 07 - 2018

